

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 आर.टी.ए. बाबत घोषणा एवम् खाता विभाजन

डिक्री

दिनांक :- 06/05/2026

वादी की ओर से श्री हीरालाल बिस्थलिया अधिवक्ता, प्रतिवादी सं. 1 ता 5 की ओर से श्री बलवीर मोयल अधिवक्ता, राज पैरोकार इस वाद मे आज दिनांक को उमा मित्तल ^{आर.ए.एन} उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि वाद पत्र को स्वीकार किया जाकर उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा धारा 88, 53 के अन्तर्गत वादी व प्रतिवादी सं. 1, 3 ता 5 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर निम्नानुसार विभाजन किया जाता है:-

क.	वादी हरीराम को घरू बंटवारा मे प्राप्त कृषि भूमि:-		
	चक	प.नं.	किला
	24 पीबीएन	22/336	12/.248 पूर्वी, 13 ता 15
ख.	प्रतिवादी सं. 1 कृष्णा देवी को घरू बंटवारा मे प्राप्त कृषि भूमि:-		तादादी
	चक	प.नं.	किला
	24 पीबीएन	22/336	12/.005 पश्चिमी, 18, 19/1
ग.	प्रतिवादी सं. 3 रोशनी देवी को घरू बंटवारा मे प्राप्त कृषि भूमि:-		तादादी
	चक	प.नं.	किला
	24 पीबीएन	23/336	14/.240पूर्वी, 15
घ	प्रतिवादी सं. 4 सन्तोष को घरू बंटवारा मे प्राप्त कृषि भूमि:-		तादादी
	चक	प.नं.	किला
	24 पीबीएन	23/336	13, 14/.013पश्चिमी,
		22/336	11/2
			0.506 हैक्.

3

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा



इ प्रतिवादी सं. 5 सरस्वती को घरू बंटवारा मे प्राप्त कृषि भूमि:-

चक	प.नं.	किला	तादादी
24 पीबीएन	22/336	16, 17	0.506 हेक्.

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होने तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होने, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नही होने की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होने की दशा मे स्थिति मे उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म यथा नहरी/ बारानी/ गैरमुमकिन/ गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसें किसी प्रकार का कोई बदलाव नही किया जावेगा। पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो जाने तथा मूल वाद निर्णय हो जाने से इस न्यायालय द्वारा उक्त अनवान के प्रकरण मे कनफर्म स्थगन आदेश निरस्त समझा जायेगा।

खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 06/05/2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(उमा मित्तल आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदम सहायक कलेक्टर
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा